

लेख 2 कोरोना की त्रासदी: बढ़ती सामाजिक व महिला हिंसा

आज हम सभी कोविड-19, कोरोना वायरस से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये लेख श्रृंखला जारी की गई है। इन लेखों में कोरोना महामारी और स्वास्थ्य, जेण्डर, व सामाजिक न्याय से जुड़े विभिन्न विषयों पर समसामयिक जानकारी व पुरुषों की भूमिकाओं को सामने लाने का प्रयास किया गया है

नये दौर की नई बातें

कोरोना महामारी और स्वास्थ्य, जेण्डर, व सामाजिक न्याय पर लेख श्रृंखला



एक साथ राष्ट्रीय अभियान
एवं
मित्र

मेन्स इनीसिएटिव्स फॉर ट्रांसफार्मिंग रिलेशनसिप थ्रू एक्शन

लेख 2

कोरोना की त्रासदी: बढ़ती सामाजिक व महिला हिंसा

इस वैश्विक त्रासदी का असर पारिवारिक व सामाजिक जीवन में तेज गति से पड़ता दिख रहा है। पुरुषों को परिवार का मुखिया माने जाने के कारण, आज वह इस त्रासदी में सोशल आइसोलेशन के चलते तनाव में है। रोजगार की असुरक्षा, जीविका के संसाधनों की कमी, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा न कर पाने की आशंका, महिलाओं व बच्चों की असुरक्षा आदि के डर से पुरुषत्व की सोच ने उन्हें और ज्यादा जोखिम व परिदन्धता की स्थिति में ढकेल दिया है।

लॉक डाउन के दौरान निकलकर आई घटनाओं से पता चलता है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई घटनाओं के साथ ही अपने प्रियजनो से दूरी, मानसिक तनाव और जोखिम पूर्ण पलायन, कुछ पुलिस वालों की बर्बरता व अमानवीय व्यवहार, यौन हिंसा तथा अफवाहों के कारण आत्महत्या व दूसरों के साथ हिंसा की घटनाएं निकलकर आ रही हैं। मीडिया में आई खबरों के अनुसार कुछ पुरुषों ने नौकरी से निकाले जाने, परिवार की जरूरतों को पूरा न कर पाने, कोरोना संक्रमित होने पर सामाजिक कलंक व अफवाहों के भय की वजह से आत्म हत्या कर ली। कुछ ऐसे पुरुष जो अपने परिवारों से दूर काम के लिए गये थे तथा लॉक लाउन के कारण सार्वजनिक सुविधाओं के बंद होने के कारण भूखे-प्यासे और बिना किसी सुरक्षा के पैदल ही घर के लिए निकल पड़े उनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग राज्यों और जिलों की सीमा में ही रोक दिये जाने के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाये। वे जिन स्थानों पर रोके गये वहां की अव्यवस्थाओं और परिवार के सदस्यों से कोई सम्पर्क न हो पाने के कारण मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं।

‘द नेशनल कम्पेन अगेन्स्ट टार्चर’ से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 25-30 मार्च के बीच लॉक डाउन के दौरान अलग-अलग राज्यों में जो पुरुष अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे दूध, राशन, दवा आदि के लिए घर से बाहर निकले उनमें से 173 लोगों को पुलिस की क्रूरता का शिकार होना पड़ा जिसमें से 27 लोगों की मौत हो गई। ऐसी घटनाएं भी आई हैं कि पुलिस की पिटाई से आहत कुछ युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। धार्मिक आरोप-प्रत्यारोप, पहचान उजागर होने, सामाजिक कलंक के डर आदि से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

हमारे देश में घरेलू हिंसा का ग्राफ पहले से ही कहीं ज्यादा है और अब कोरोना त्रासदी के कारण पुरुषों में तनाव का सीधा असर महिलाओं और बच्चों पर चिड़चिड़ापन, गुस्से में तोड़-फोड़, गाली-गलौज व मारपीट के रूप में तथा जबरदस्ती यौन सम्बंधों के रूप में पड़ता दिख रहा है। जो महिलाएं अपने साथ होने वाली घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकती थी व मदद ले पा रही थी, लॉक डाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उसी हिंसा के माहौल में उन्ही लोगों के साथ न केवल रहने के लिए बल्कि हिंसा सहने के लिए विवश हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार 24 मार्च से 1 अप्रैल 20 के बीच लॉक डाउन लागू होने के बाद आयोग के पास 250 से ज्यादा शिकायतें आई हैं और उनमें से 69 मामले घरेलू हिंसा के हैं। उन्होंने कहा कि शर्म और पिटाई करने वालों के हमेशा घर में रहने की वजह से महिलाएं शिकायत नहीं कर पा रही हैं।

इन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं

- किसी भी प्रकार की जातीय, धार्मिक, वर्गीय, लैंगिक हिंसा में न तो शामिल हों, न बढ़ावा दें और न ही हिंसा करें।

- हिंसा को बढ़ावा देने वाली किसी भी फोटो, वीडियो आदि को सोशल मीडिया में न भेजें और भेजने वालों को ऐसा न करने के लिए समझायें।
- पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों व सरकार तक ये बात ईमेल, ट्वीटर, फोन नं0 आदि के माध्यम से पहुंचाये।
- जब आप अपने किसी जानकार या परिचित को फोन करते हैं और आपको लगता है कि वहां हिंसा हो रही है तो आप तुरन्त उसे रोकने के लिए पहल करें।
- जिन घरों में पहले से घरेलू हिंसा की सूचना मिलती रही है, उन घरों की फोन से निगरानी रखें तथा उन पुरुषों से बात कर ऐसा न करने के लिए समझाये।
- हिंसा प्रभावित महिलाओं को महिला हेल्प लाईन नं0, टोल फ्री नं0 उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं।
- महिलाओं पर हिंसा की स्थिति में महिला हेल्प लाईन (1090/1091), स्थानीय पुलिस, राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग को फोन (011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809), ईमेल ncw@nic.in या ट्वीटर के माध्यम सूचित कर तुरन्त कार्यवाही की मांग करें।
- मुसीबत में फंसे बच्चों तथा जिन बच्चों के साथ घरों में हिंसा की जानकारी मिले इसके लिए तुरन्त स्थानीय पुलिस या चाईल्ड हेल्प लाईन नं0 1098 को सूचना दें।
- अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए उसके कारणों पर विचार करें तथा आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें।
- घर के कामों (कपड़े साफ व प्रेस करना, खाना बनाना, घर की साफ-सफाई व सजाना, बच्चों की किताबों को ठीक करना व कवर चढ़ाना, बागवानी, पशुओं की देखभाल आदि) में हाथ बंटायें। बच्चों की पढ़ाई व घर के आगे के कामों के बारे में मिलकर प्लान करें।
- परिवार के सदस्यों से एक दूसरे की इच्छाओं, रुचियों, पसंद-नापसंद को जाने। अपने दैनिक व मासिक आय व खर्चों का लेखा-जोखा बनाये तथा इसी के आधार पर आगे का प्लान बनायें।
- निश्चित रूप से इस समय लॉक डाउन के कारण परेशानियां आयेगी लेकिन धैर्य से काम लें, अपने साथियों से फोन पर बात कर मदद लें तथा सरकारी की सेवाओं का लाभ भी लें।

महेन्द्र कुमार
मित्र